

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3(39) आ.कृ./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/बी.एफ.सी./2022-23/ 4729-4929 दिनांक : 27-09-2021

संशोधित बजट परिपत्र

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के प्रस्ताव तैयार करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय बजट परिपत्र क्रमांक 3814-3963 दिनांक 10.08.2021 एवं बजट प्रबन्धन प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक 4314-4500 दिनांक 15.09.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय बजट परिपत्र क्रमांक 3814-3963 दिनांक 10.08.2021 द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार कर जाँच हेतु मुख्यालय में प्रस्तुत करने के लिए खण्डवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया था एवं वित्त विभाग के बजट प्रबन्धन प्रक्रिया संबंधी परिपत्र क्रमांक प.4(48)वित्त-1(1)/आ.व्य./2021 दिनांक 06.09.2021 के निर्देशों के क्रम में विभागीय परिपत्र क्रमांक 4314-4500 दिनांक 15.09.2021 द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं। IFMS पर विभिन्न प्रपत्र एवं बजट प्रस्ताव Online करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम जारी किया जा रहा है।

अतः उक्त विभागीय बजट परिपत्रों में दिये गये निर्देशानुसार बजट प्रस्ताव तैयार करावें एवं जिस कार्मिक द्वारा बजट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं वे निम्न दिनांकों को व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय की बजट शाखा (प्रतिबद्ध) में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करावें :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	दिनांक
1.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड सीकर/जयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	30.09.2021
2.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड भरतपुर/कोटा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	01.10.2021
3.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड उदयपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	04.10.2021
4.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड भीलवाड़ा के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	05.10.2021
5.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड बीकानेर/श्रीगंगानगर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	06.10.2021
6.	संयुक्त निदेशक, कृषि खण्ड जालौर/जोधपुर के अधीनस्थ समस्त कार्यालय/प्रयोगशाला/अनुसंधान केन्द्र	08.10.2021
7.	संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।	11.10.2021

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संबंधित कार्यालयों को जिन तिथियों में (कार्यक्रम के अनुसार) व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय पर बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान कराया जाना है उस तिथि को संबंधित कार्यालयाध्यक्ष बजट से संबंधित किसी द्वितीय कार्मिक को अपने कार्यालय में बजट सीट पर रहने के लिए भी पाबंद करावें ताकि वह मुख्यालय में उपस्थित कार्मिक को किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मदद कर सके।

80


(सिरमौर मीना)

वित्तीय सलाहकार, कृषि

क्रमांक :प.3(39) आ.क./लेखा/बजट (प्रतिबद्ध)/बी.एफ.सी./2022-23/ 4729-4929 दिनांक : 27-09-2021

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान दुर्गापुरा/उप.नि.कृ.(प्रशिक्षण) टोंक।
2. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कृषि (पौध व्याधि/वनस्पति/गुण नियंत्रण), दुर्गापुरा जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, कृषि (खण्ड) को प्रेषित कर लेख है कि उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय मय प्रयोगशालाए एवं अनुसंधान केन्द्र निर्धारित तिथि को मुख्यालय में आवश्यक रूप से बजट प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. समस्त उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण)/(मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला)
6. उप निदेशक, कृषि (खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र) कोटा।
7. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार)
8. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद्
9. समस्त कृषि अनुसंधान अधिकारी
10. उप निदेशक, कृषि (शष्प) मलिकपुर/चित्तौडगढ़/छत्रपुरा/बूंदी/करणपुर/तबीजी/रामपुरा जोधपुर/ हनुमानगढ़/लूणकरणसर/उप निदेशक, कृषि (रसायन), जोधपुर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ए.सी.पी.) को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवावें।



(सिरमौर मीना)

वित्तीय सलाहकार, कृषि